न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2023	2023/06	06.01.2023	04.04.2023

1. महेश पुत्र श्री मुसद्दीलाल, जाति तेली, निवासी पीनान, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0) हाल निवासी फौजी कॉलोनी 200 फुट रोड अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार (भू0अ0) रैणी, जिला अलवर।
2. रामजीलाल पुत्र श्रवण जाति तेली निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर

असल रेस्पोडेन्ट

3. प्रहलाद पुत्र अणतराम
4. बुद्दिदेवी पत्नी मुसद्दीलाल
5. बाबूलाल पुत्र स्व0 मुसद्दीलाल
6. कैलाश पुत्र स्व0 मुसद्दीलाल जाति तेली, निवासीयान ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर

तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 29.05.1992 नामान्तकरण संख्या 135 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी

उपस्थितः–

01. श्री ओमानन्द चौधरी – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट संख्या 1
03. श्री अमर चन्द चौधरी – रेस्पोडेन्ट संख्या 2
04. श्री मंयक दीक्षित – तरतीबी रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 29.05.1992 नामान्तकरण संख्या 135 वाके ग्राम पीनान तहसील रैणी जिसके द्वारा विरासत नामान्तकरण का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष ने जरिये विद्वान अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। शामिल मिसल किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की अपील एवं प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजीनामा पर बहस सुनी गई। अपील में अंकित तथ्य निम्नानुसार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.05.1992 को पारित किया गया जिसकी जानकारी मिन अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 30.12.2022 को हुई। जब अपीलाण्ट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने गया तो उन्होने रिकॉर्ड देखकर मिन अपीलाण्ट को बताया कि खसरा नं0 83 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पिनान के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में तुम्हारा नाम नहीं है, तथा उक्त आराजी का विरासत इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीलाल व भोरी के नाम से ही स्वीकार किया गया है, जिस पर मिन अपीलाण्ट ने दिनांक 03.01.2023 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो नकल उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई। मिन अपीलाण्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने तुरन्त अपील पेश करने की सलाह दी गई जिससे यह अपील अविलम्ब न्यायालय में पेश की गई। जो समय व्यतीत हुआ है वह बवजह लाजमी व्यतीत हुआ है। उक्त इंतकाल त्रुटीपूर्ण स्वीकार किया गया है जिसके लिए कानूनन कोई मियाद नहीं होती है। फिर भी रफाए हुज्जत उक्त समय को कण्डोन कराने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने सरवण का विवादित विरासत इंतकाल संख्या 135 वाके ग्राम पिनान का नायब तहसीलदार भू0अ0 पिनान तहसील रैणी जिला अलवर राज0 दिनांक 29.05.1992 को विधि विरूद्व केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं0 2 व भौरी के नाम खिलाफ मोका व खिलाफ रिकार्ड एवं खिलाफ कानून स्वीकार किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। चूँकि सरवण के तीन लडके अणतराम, मुसद्दीलाल व रामजीलाल थे, भोरी नाम की कोई सरवण के वारिस नहीं थी जो इंतकाल अपीलाण्ट को बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना कैम्प में खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 26 मिन हाल खसरा नंबर 83 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पिनान अपीलाण्ट के दादा सरवण की कब्जे काश्त खातेदारी का था। सरवण पुत्र गोरधन उपरोक्त विवादित इंतकालाधीन आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पिनान के अलावा अन्य आराजीयात का खातेदार था जिसका विरासत इंतकाल संख्या 391 दिनांक 08.02.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत पिनान पंचायत समिति राजगढ द्वारा स्वीकार किया गया है, जो इंतकाल संख्या 391 सभी वारिसान के नाम मुताबिक उपरोक्त सजरा स्वीकार किया गया है।

उभयपक्ष मय अधिवक्ताओं के उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित किया गया है कि हम पक्षकारान अपीलाण्ट एवं असल रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीलाल व तरतीबी रैस्पोडेन्टस के मध्य मौजिज लोगों की आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया है। हमारे मध्य मुकदमा चलने से पारिवारिक सम्बन्ध खराब होते है, इसलिए राजीनामा कर लिया है। राजीनामा के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नं0 83 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट महेश चन्द व तरतीबी रैस्पोडेन्टस बाबूलाल, कैलाश, बुद्विदेवी रहेगा तथा 1/3 हिस्सा तहतीबी रैस्पोडेन्ट प्रहलाद का रहेगा एवं 1/3 हिस्सा असल रैस्पोडेन्ट रामजीलाल का रहेगा। राजीनामा अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर आलोच्य इंतकाल संख्या 135 ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर को निरस्त कर इंतकाल विरासत मृतक सरवण पुत्र श्री गोरधन जाति तेली निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट महेश चन्द व तहतीबी रैस्पोडेन्ट बाबूलाल, कैलाश, बुद्विदेवी व 1/3 हिस्सा तरतीबी रैस्पोन्ट प्रहलाद व 1/3 हिस्सा असल रैस्पोडेन्ट रामजीलाल के हक में दर्ज व तस्दीक किए जाने की आज्ञा पारित की जावे। राजीनामा से दोनो पक्षकार व उसके वारिसान पाबंद रहेगें।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उभयपक्ष विद्वान वकील की प्रस्तुत राजीनामा पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.05.1992 नामान्तकरण संख्या 135 को निरस्त कर मुताबिक राजीनामा मृतक सरवण के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस व प्रस्तुत राजीनामा पर चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.1992 नामान्तकरण संख्या 135 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी मृतक सरवण के वारिसान की सही जांच कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलाण्ट व रैस्पोडेन्ट एवं तरतीबी रैस्पोडेन्टस मुताबिक राजीनामा के मृतक सरवण के जायज वारिसान है, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश 29.05.1992 को निरस्त किया जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय स्वीकार कर नायब तहसीलदार (भू0अ0) रैणी जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.1992 नामान्तकरण संख्या 135 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा के मृतक सरवण के जायज वारिसान के पक्ष में 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट महेश चन्द व तरतीबी रैस्पोडेन्टस बाबूलाल, कैलाश, बुद्विदेवी रहेगा तथा 1/3 हिस्सा तहतीबी रैस्पोडेन्ट प्रहलाद का रहेगा एवं 1/3 हिस्सा असल रैस्पोडेन्ट रामजीलाल का रहेगा। उक्तानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार